पत्रांक 2324 / पटना, दिनांक 24 जून, 1993

418

प्रेषक,

श्री यू0 एन0 पीजियार,
अपर औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
पटना, राँची, आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ।

विषयः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण की भूमि/शेड आवंटन के संबंध में मार्गदर्शन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय ज्ञापांक 14115 दिनांक 17-12-1991 के प्रसंग में कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशकों के साथ अनेक अवसरों पर हुई बैठकों में की गई समीक्षा और उसके आलोक में सरकार के स्तर पर किये गये विचारों के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण की भूमि/शेड के आवंटन के संबंध में कुछ मार्ग दर्शनों का निर्धारण किया गया है । इसी के आलोक में प्राधिकारों द्वारा उनको प्रदत्त भूमि/शेड की आवंटन की शक्ति के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती रहेगी ।

2- ये मार्ग दर्शन निम्नांकित है :-

§1§ मध्यम श्रेणी की इकाई एवं लघु/अति लघु इकाई के लिए उद्योग द्वारा भवन/शेड से आच्छादित भूमि का तीन गुणा जमीन अधिकतम आवंटित की जायेगी । अगर भूमि की आवश्यकता कम हो तो कम भूमि आवंटित की जायगी ।

§2§ लघु उद्योग की श्रेणी में परिभाषित उद्योग के संबंध में विकास आयुक्त कार्यालय §लघु उद्योग§ भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-2§3§/91-एस0एस0आई0 बोर्ड दिनांक 30-9-91 जिसे विभागीय ज्ञापांक 462 दिनांक 14-1-93 §प्रतिलिपि संलग्न§ द्वारा निर्गत किया गया है, का प्रावधान लागू होगा । स्पष्टतः गैर औद्योगिक कार्य यथा मुर्गी पालन, मछली पालन, फल सब्जी उत्पादन एवं ऐसे अन्य मामले के लिये भूमि आवंटन नहीं किया जायगा ।

§3§ प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति समिति में सर्वप्रथम परियोजना पर विचार किया जायेगा । इस समिति के द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को भूमि आवंटन पर विचार प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित भूमि आवंटन समिति में किया जायगा और उसी अनुशंसा पर प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायगा । अगर विशेष परिस्थिति में किसी उद्योग को मापदण्ड से अधिक भूमि आवंटित करना हो तो इसके औचित्य पर भूमि आवंटन समिति में विचार कर समुचित निर्णय लिया जायगा ।

§4§ डाकघर, बैंक की शाखा, टेलीफोन केन्द्र के लिये भूमि आवंटित की जा सकती है । अन्य किसी भी स्थिति में उद्योगों की स्थापना से भिन्न किसी भी उद्देश्य के लिये भूमि आवंटन नहीं किया जायगा । यदि किसी अन्य उद्देश्य के लिये भूमि आवंटन की अपरिहार्यता समझी जाय तो सरकार की अनुमति प्राप्त कर ही की जायगी ।

भूमि/शेड के आवंटन के संबंध में अनुलग्न प्रपत्र में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक त्रैमास समाप्ति पर अगले माह की 15 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

(6) प्रत्येक प्राधिकार पूर्व में आवंटित भूमि/शेड का स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिस उद्देश्य के लिये भूमि/शेड का आवंटन किया गया है उसी उद्देश्य के लिये भूमि/शेड का उपयोग हो रहा है । अगर किसी उद्यमी के द्वारा भूमि/शेड का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिये किया गया है जो अनुमान्य नहीं है तो इसकी समीक्षा कर भूमि आवंटन नियमानुकूल रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(7) स्थल निरीक्षण के आधार पर प्राधिकार यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी भूमि का आवंटन विभिन्न उद्योगों के लिये किया गया है उतनी भूमि की आवश्यकता उन उद्योगों को है । अगर किसी मामले में अवश्यकता से अधिक का आवंटन किया गया है और भूमि बिना उपयोग के अथवा बिना उपयोग के लिये किसी कार्यान्वयन योग्य विकल्प के पड़ी हुई है तो ऐसे आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जानी चाहिए ।

अनुरोध है कि उपयुक्त मार्गदर्शन के आलोक में भूमि/शेड आवंटन की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(यू० एन० पंजियार)
अपर औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना ।

अनुः- यथोक्त ।

ज्ञापांक 4325 पटना, दिनांक 25 जून, 1993

प्रतिलिपि- माननीय उद्योग मंत्री (वृहत एवं मध्यम)/लघु उद्योग के आप्त सचिव/राज्य मंत्री (वृहत एवं मध्यम)/लघु उद्योग के आप्त सचिव/औद्योगिक विकास आयुक्त के सचिव/उद्योग निदेशक के सचिव को सूचनार्थ ।

अपर औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना ।